

देखरेख एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु गृहों का संचालन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, संशोधित अधिनियम-2006

क्रमांक	संस्था का नाम	जनपद का नाम	क्षमता	संस्था का पता	सक्षम प्राधिकारी जिसके माध्यम से बच्चे भेजे जाते हैं	आयु	श्रेणी	भवन	आच्छादित जनपद
1	रा. बाल गृह (शिशु) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत)	1. लखनऊ	50	3, प्राग नारायण मार्ग	अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष, सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	0-18 वर्ष	देखरेख एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	विभागीय	लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, कानपुर नगर, इटावा, रमाबाईनगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, बलरामपुर,
		2. इलाहाबाद	50	अशोक नगर					इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मऊ, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, जौनपुर गाजीपुर, संतरविदासनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बांदा, कुशीनगर, महाराजगंज, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर,, जालौन, झांसी, ललितपुर
		3. आगरा	50	120 विष्णुपुरी कालोनी, राजीव टॉकिज के पास, शाहगंज					आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़
		4. मथुरा	50	ऑफिस कालोनी पी.डब्ल्यू. डी. बिल्डिंग					मथुरा
		5. रामपुर	50	सी.आर.पी.एफ. सोसायटी कालोनी					रामपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बागपत, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर
		योग	250						
2	बाल गृह (बालक) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत)	1. लखनऊ	100	मोहान रोड	अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष, सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	10-18 वर्ष	देखरेख एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	विभागीय	लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, खीरी, हरदोई, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, रायबरेली
		2. ललितपुर	50	देलवारा				विभागीय	ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन

		3. वाराणसी	100	राम नगर				विभागीय	वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर
		4. कानपुर	100	उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर				विभागीय	कानपुर, रमाबाई नगर, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज,इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़
		5. शाहजहांपुर	50	निकट सिविल अस्पताल, बरेली रोड				विभागीय	शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली, बदरौं पीलीभीत
		6. गाजीपुर	50	गोरा बाजार				विभागीय	गाजीपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर
		7. फिरोजाबाद	50	निकट सी.ओ. ऑफिस-पुलिस, एटा रोड				किराये का	फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी एवं मथुरा
		8. आजमगढ़	50	ब्रह्म स्थान				किराये का	आजमगढ़, देवरिया, बलिया,फैजाबाद, सुल्तानपुर, बलिया
		9. मेरठ	50	सूरज कुण्ड				किराये का	मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद,बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर
		10. देवरिया	50					किराये का	देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज
		योग	650						
3	बाल गृह (बालिका) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत)	1. बलिया	50	निधरिया	अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष,,सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	10-18 वर्ष	देखरेख एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	विभागीय	बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी
		2. इलाहाबाद	50	ममफोर्डगंज				किराये का	इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़,झांसी, ललितपुर,जालौन, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, बस्ती, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर
		3. कानपुर	100	7/202, स्वरूप नगर				विभागीय	कानपुर, रमाबाईनगर, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज,आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर,गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर

		4. लखनऊ	100	मोती नगर				विभागीय	लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बदायूं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, फैजाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, खीरी
		योग	300						
4	रा. पश्चात्पूर्वी देखरेख संगठन (किशोरी) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत)	1. रायबरेली	100	सरस्वती नगर, त्रिकुला पावर हाऊस, फिरोजगांधी इंजीनियरिंग कालेज के पास	अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष, सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	18 से 21 वर्ष की आयु तक की बालिकायें	पुनर्वासन हेतु	किराये का	लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, कानपुर नगर, रमाबाईनगर, उन्नाव, बलरामपुर, गोंडा, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर
		2. वाराणसी	100	जैतपुरा				किराये का	वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, संतरविदासनगर, गोरखपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, मऊ, सिद्धार्थनगर महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती
		3. मेरठ	50	बाउण्डी रोड, लालकुर्ती				किराये का	मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, आगरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, रामपुर
		4. सहारनपुर	100	फतेहपुर				विभागीय	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, बिजनौर
		योग	350						
5	रा. पश्चात्पूर्वी देखरेख संगठन (किशोरी) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत)	1. शाहजहांपुर	50	निकट सिविल अस्पताल, बरेली रोड	अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष, सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	18 से 21 वर्ष की आयु तक की बालक	पुनर्वासन हेतु		प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय बाल गृह (बालक)
			50						